VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	Vikas Gupta		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	137029
Center	Online	Date	26/7/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद की अवधारणा के अनुसार सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। के.सी. व्हीयरे के अनुसार 'संविधानवाद के अंतर्गत संविधान द्वारा न सिर्फ संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, अपितु इन्हें नियंत्रित व सीमित करने की भी व्यवस्था होती है। इस अवधारणा के मूल रूप से ब्रिटेन में देखा जा सकता है।

भारतीय संविधान के उपबंध (संविधानवाद से संबंधित)

1) प्रस्तावना - इसके अनुसार वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। अर्थात जनसंप्रभुता का सिद्धांत है।

2) मूल अधिकार :- संविधान के भाग-3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। जिन्हें लागू करने हेतु न्यायपालिका अनु. 32 व अनु. 226 के तहत रिट जारी कर सकती है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) न्यायिक समीक्षा - संविधान के अनु. 13, अनु. 32, अनु. 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा के शक्ति। इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों/विधायिका के कानून को मूल अधिकारों से असंगत होने पर रद्द कर सकती है जैसे IPC की धारा 377, IT अधि. की धारा 66A।

4) ~~एवं~~ स्वतंत्र न्यायपालिका - अनु. 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 214 के तहत स्वतंत्र हाईकोर्ट के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना।

5) शक्ति का पृथक्करण - भारत में शक्ति के पृथक्करण द्वारा सरकार के अंगों में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है।

इस तरह भारत में संविधानवाद के अपनाकर सरकार की तानाशाही रोकने की व्यवस्था की गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 21 वीं सदी के उदारीकरण व वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना के पूर्व भारत में ~~FERA~~, ~~1973~~, विदेशी मुद्रा विनियमन अधि. (FERA) के तहत एवं लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से एकाधिकार रोकने की कोशिश की गई। किंतु इस प्रणाली ने एकाधिकार को रोकने के साथ ही निजी क्षेत्र को अत्यधिक प्रतिबंधित कर दिया।

VISION IAS™

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परिणाम → पुलिस राज की स्थापना व भ्रष्टाचार
→ लालफीताशाही के कारण आर्थिक संवृद्धि में गिरावट।
→ PSU के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर देने के कारण उत्पादकता में कमी।
→ विदेशी निवेश में कमी।

इन दुष्परिणामों के चलते भारत में 1991 में भुगतान संकटलन संकट उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप 1991 में उदारीकरण द्वारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। इस दिशा में LPG की स्थापना की गई।

लाभ

उपभोक्ता कल्याण
↳ प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च गुणवत्ता व कम कीमत पर उत्पाद।
↳ अधिक कंपनियों के कारण अधिक विकल्पों की उपलब्धता।

अनुकूल नियामकीय परिवेश
↳ निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता।
↳ विदेशी निवेश में वृद्धि।
↳ नयी तकनीकों का प्रवेश

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.

(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

२१ वीं शताब्दी में बढ़ते इंटरनेट के प्रचलन का लाभ लेने व ई-ऑफिस के बढ़ावा देने न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के बढ़ावा दिया जा रहा है।

विभिन्न पहलें
- नेशनल ज्युडिसियल डेटा ग्रिड का निर्माण - रियल टाइम में केस की स्थिति की जानकारी।
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के द्वारा न्यायपालिका में डिजिटलीकरण के बढ़ावा।
- विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा ऑनलाइन सुनवाई जैसे गुजरात हाईकोर्ट।

इन पहलों से लाभ
- न्याय की पहुंच में विस्तार।
- केस संबंधी फाइलों की आसान प्राप्ति से निस्तारण में आसानी।
- त्वरित व सुलभ न्याय प्रदायगी।

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन पहलों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :-

1) अवसंरचना संबंधी - a) न्यायपालिका के पास सुदृढ़ अवसंरचना की कमी।

b) अवसंरचना निर्माण हेतु सरकारों द्वारा समय पर व पर्याप्त धन आवंटन की कमी।

2) व्यवहार संबंधी - a) वृद्ध जजों में डिजिटल कोर्ट के प्रति उदासीनता की भावना।

b) भारतीय ग्रामीण जनसंख्या में डिजिटल निरक्षरता के कारण उन्हें न्याय मिलने में परेशानी।

c) कई जज व न्यायिक अधिकारी भी डिजिटल परिवेश में सहज नहीं।

3) डिजिटल कोर्ट से संबंधित - (a) डेटा चोरी व निजता के हनन की संभावना।

सुझाव → वर्तमान CJI की सलाह पर अवसंरचना हेतु नालसा की तर्ज प्राधिकरण का निर्माण।

↳ जजों व न्यायिक अधिकारियों की डिजिटल कौशल में वृद्धि हेतु ट्रेनिंग।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

अमेरिका व भारत में नागरिकों के अस्तित्व का विकास सुनिश्चित करने व नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता सुनिश्चित करने जन्म से ही कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है।

अंतर

अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स	भारत में मूल अधिकार
1. ये लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से प्रभावित।	ये अमेरिका व अन्य लोकतांत्रिक राज्यों में प्रचलित अधिकारों से प्रभावित।
2. इनका आधार विधि की सम्यक् प्रक्रिया में।	इनका आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
3. ये मूल संविधान का भाग नहीं थे अपितु संसोधन द्वारा जोड़े गए।	भारत के मूल अधिकार मूल संविधान का भाग थे।

अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स	भारत में मूल अधिकार
4. संशोधन हेतु प्रस्ताव तीन-चौथाई बहुमत से पारित होना चाहिए।	संशोधन हेतु प्रस्ताव कुल सदन संख्या के बहुमत व उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित
5. निवारक निरोध जैसे प्रावधान नहीं।	दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसमें निवारक निरोध का प्रावधान

समानता

- दोनों ही अधिकार नागरिकों को जन्म से प्राप्त।
- दोनों अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था।
- दोनों ही अधिकार व्यक्तित्व विकास में सहायक

इस प्रकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स व भारत के मूलाधिकार वास्तव में मूलभावना व प्रकृति में उद्देश्य रखते हैं।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. (150 words) 10

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

भारत में अनुसूचित जनजातियों व अन्य वन पर आश्रित परंपरागत समूहों से ब्रिटिश काल से हुए भेदभाव को खत्म करने व वन से संबंधित उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारित किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006
- वनों में निवास करने का अधिकार।
- अधिकतम 4 एकड़ भूमि पर स्वामित्व का अधिकार।
- वनों से प्राप्त लघु वनोपज पर अधिकार।
- चराई का अधिकार

क्रियान्वयन में कमियाँ
- लागू होने के बाद से कई विकास प्रोजेक्ट्स के कारण जनजातियों का विस्थापन।
- प्रशासनिक तंत्र द्वारा ज्यादातर दावों को खारिज करना व इन समुदायों का निष्कासन।
- समुदायों में जागरूकता की कमी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

धीमे व निष्प्रभावी क्रियान्वयन के कारण :-

- समुदायों के पास ऐतिहासिक रूप से निवास करने संबंधी दस्तावेजों की कमी।
- वन्यजीव संरक्षण संस्थानों द्वारा इन समुदायों को वनों से निष्कासित करने हेतु प्रयास।
- वन विभाग व इन समुदायों के मध्य आपसी विश्वास की कमी।
- ग्राम सभा व पंचायती राज संबंधी संस्थाओं में क्षमता की कमी।

सुझाव

→ वन विभाग एवं ग्राम सभा के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।

→ वन्यजीव प्रेमी संस्थानों व वन विभाग द्वारा अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर इन समुदायों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करना जैसे इडु मिश्मी जनजाति द्वारा बाघ संरक्षण में योगदान…

→ अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा निगरानी करना। इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी होना इन समुदायों के साथ पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जहाँ लाभकारी व गैर-लाभकारी सामाजिक उद्यम पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ते हैं।

हाल ही में सेबी द्वारा एवं बजट के माध्यम से सरकार द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क-

1) सामाजिक उद्यमों को वित्त प्राप्ति में सहायता।

2) व्यवसायियों व बड़े बिजनेस वाली कंपनियों को सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने में सहायता।

3) सामाजिक क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के अनुपूरक रूप में सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस मार्जिन में कुछ ना लिखें)

५ समाज के सुभेद्य वर्गों को मिलने वाली सहायता में वृद्धि।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण से सामाजिक प्रभाव निवेश या ESG निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। इसके माध्यम से कंपनियाँ पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान में सहायता कर सकती हैं।

साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका प्रदान करने में भी सहायक हो सकता है।

इस संबंध में सेबी के द्वारा हाल ही में दी गई गाइडलाइन्स को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज को CSR गतिविधि से जोड़ने की कोशिश की जा सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

भारत वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल GDP का 1.3% खर्च करता है, जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से रोगी की पूरी जानकारी एक स्थान पर।
- विभिन्न अस्पतालों का ऑनलाइन नेटवर्क का निर्माण।
- टेली हेल्थ या ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श की सुविधा

राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन निम्न प्रकार से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकता है -

*. लोगों की बिमारियों से संबंधित डेटा एक

जगह आसानी से उपलब्ध होने पर डॉक्टरों को रोगी के पुराने इतिहास की जानकारी से इलाज करने में मदद।

* दस्तावेजों के गुमने खो जाने की समस्या खत्म हो जायेगी।

* विभिन्न अस्पतालों के मध्य ऑनलाइन नेटवर्क स्थापित होने से रोगी के ट्रांसफर की स्थिति में रोगी के इलाज में सुविधा।

* ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।

चुनौतियाँ
- डिजिटल अवसंरचना की कमी (ग्रामीण क्षेत्रों में)
- व्यापक डिजिटल निरक्षरता।
- डेटा संबंधी कानून की कमी।
- डॉक्टरों व चिकित्साकर्मियों की ट्रेनिंग की आवश्यकता।
- निजता के हनन की संभावना जैसे आंध्रप्रदेश के सरकारी विभाग से महिलाओं के गर्भपात संबंधी डेटा लीक होना।

इस संबंध में उचित उपायों के साथ NDHM सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायक हो सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में शिक्षा को एक गैर-लाभकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इस कारण इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश आवश्यकता से कम रहा है।

भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की अनिवार्यता :-

1. निवेश - वर्तमान में भारत शिक्षा पर GDP का 4.6% खर्च करता है। इसमें वृद्धि करने हेतु अनुपूरक के रूप में निजी क्षेत्र का निवेश आवश्यक।

2. शोध - वर्तमान में भारत शोध कार्यों पर GDP का 0.67% खर्च करता है। इसमें 70% योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का है। ~~इसमें~~ नीति आयोग के अनुसार शोध क्षेत्र में निजी क्षेत्र के भागीदारी लगभग 60% होनी चाहिए।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - निजी क्षेत्र व FDI को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की जा सकती है।

तथापि निजी क्षेत्र संबंधित कुछ मुद्दों का निराकरण आवश्यक :-

1) लाभ से संचालित होने के कारण शिक्षा व्यवस्था महंगी हो सकती है व गरीब छात्रों की पहुँच से दूर हो सकती है।

2) गरीब तबके तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी से असमानता में वृद्धि हो सकती है।

3) निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होता है। इस स्थिति में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों पर विपरीत प्रभाव की संभावना।

इस संदर्भ में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. **(150 words) 10**

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

मध्य एशियाई क्षेत्र अफगानिस्तान व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र दुर्गम, पथरीले रास्तों व पहाड़ियों पर स्थित है।

भारत के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र का महत्व:-

1) आर्थिक - (a) भारतीय निवेश के लिए बाजार के रूप में।

(b) मध्य एशियाई क्षेत्र बहुमूल्य धातुओं, प्राकृतिक गैस से संपन्न क्षेत्र है जो भारत की आर्थिक बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है।

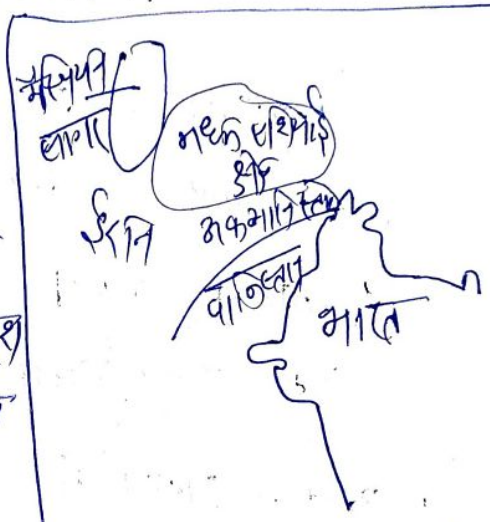

चित्र: मध्य एशियाई क्षेत्र

2) ऊर्जा - इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के व पेट्रोलियम के अंगार भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सहायक।

3) सुरक्षा व रणनीति - अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज के बाद यह

Don't write anything this margin (इस मार्जिन में कुछ ना लिखें)

क्षेत्र आतंकवादी व चरमपंथी समूहों के होने के लिए महत्वपूर्ण।

4) अन्य - मध्य एशिया के माध्यम से यूरेशिया से संबंध बनाने में सहायता।

विद्यमान चुनौतियां → भौतिक संपर्क न होना।
↳ पाकिस्तान द्वारा मध्य एशिया से व्यापार में बाधा डालना।
↳ भारतीय निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में कम रुचि होना।
↳ हाल के समय में इन देशों में चरमपंथी समूहों में वृद्धि।

भारत द्वारा प्रयास → TAPI परियोजना की निर्माण
→ CASA-1000 द्वारा विद्युत ग्रिड निर्माण।
→ INSTC का निर्माण।
→ दिल्ली में मध्य एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में अफगानिस्तान में स्थिरता पर योजना पर
इसके साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार हेतु भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

आत्मनिर्भर भारत योजना

कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हेतु शुरू की गई।

आत्मनिर्भर भारत पहल

स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि + द्वारा वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति।

सुभेद्य आपूर्ति श्रृंखला पर देश की निर्भरता को कम करना।

इस संबंध में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका :-

1) निवेश में वृद्धि - a) डायस्पोरा के माध्यम से FDI व FPI में वृद्धि।

b) मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा नये ग्रीनफील्ड कार्यों की स्थापना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2) तकनीक संबंधी - भारतीय डायस्पोरा द्वारा नई तकनीकों संबंधी ज्ञान का आदान-प्रदान।

3) निर्यात में वृद्धि - भारतीय डायस्पोरा विदेशों में भारतीय ब्रांड को प्रोत्साहन देकर भारत से निर्यात में योगदान दे सकते हैं।

चुनौतियाँ → भारत में निवेश संबंधी नियामक जटिलताएं।
→ भारतीय आर्थिक नीतियों में पूर्वानुमेयता की कमी जैसे हाल ही में भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध।
→ कोविड-19 के कारण आई वैश्विक मंदी के कारण डायस्पोरा की निवेश क्षमता में कमी।

सुझाव → ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करना।
→ भारतीय उच्च तकनीकी संस्थानों जैसे IIT, NIT को वैश्विक शोध संस्थानों से टाई अप करवाना।

इस तरह भारतीय डायस्पोरा आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

भारत में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का निर्माण शहरी स्थानीय स्वशासी संस्थानों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा देने हेतु किया गया।

74वाँ संविधान संशोधन
- शहरी क्षेत्र जनसंख्या अनुरूप नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम का गठन।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव।
- 12वीं अनुसूची में 18 विषयों के माध्यम से सशक्तीकरण का प्रयास।

वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन की निम्न परिणामों के कारण आलोचना :-

- शहरी स्थानीय शासन राज्यों के विभागों की तरह कार्य करना।
- इन संस्थानों द्वारा सृजित राजस्व भारत की

GDP का लगभग 1% जबकि विकसित देशों में यह GDP का 5%।

↳ लोकसेवकों व नगरपालिका प्रतिनिधियों के मध्य सांठगांठ युक्त भ्रष्टाचार।

↳ नगरपालिकाओं की राज्य सरकार पर निर्भरता।

↳ शहरों में निम्नस्तरीय अवसंरचना, मलिन बस्तियों व हर मानसून में आने वाली बाढ़।

कारण → राज्य सरकारों द्वारा 12वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों का हस्तांतरण न करना।

↳ नगरपालिकाओं के पास कर संग्रहण की अल्पतम शक्तियां।

↳ राज्य सरकारों द्वारा ब्यूरोक्रेसी जैसे नगर निगम आयुक्त के माध्यम से हस्तक्षेप।

↳ केंद्र द्वारा विभिन्न पैरास्टल एजेंसियों जैसे स्मार्ट सिटी के लिए SPV के निर्माण से इन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संस्थाओं का महत्व कम होना।

इस कारण निम्न शहरी पीढ़ी के सुधार स्वशासी शासन के विकेंद्रीकरण हेतु आवश्यक हैं:-

- 12वीं अनुसूची के विषयों का अनिवार्य हस्तांतरण।
- नगरपालिका सदस्यों व कर्मियों का नियमित प्रशिक्षण।
- केंद्र द्वारा विभाज्य पूल का निश्चित हिस्सा इन संस्थाओं के लिए आरक्षित करना जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा किया गया।
- नगरपालिका के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य करना।
- नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर स्मार्ट नगरपालिकाओं का निर्माण।

वास्तव में नगरपालिकाओं का सुदृढ़ीकरण संधारणीय शहरीकरण (SDG-11) की प्राप्ति में सहायक होगा।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

भारत में भूमि सुधार व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31B के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल कर उसे अनु. 14 व अनु. 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित होने से बचाया जा सकता है।

9वीं अनुसूची का अनियंत्रित व व्यापक प्रयोग

9वीं अनुसूची का निर्माण वास्तव में भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी करने के लिए किया गया था। इसके माध्यम से संसद द्वारा विशेष बहुमत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा किसी राज्य के कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से बचाया जाता है।

तथापि अनुसूची के निर्माण के कुछ समय बाद से ही इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। इसमें ऐसे कानूनों को भी शामिल किया गया जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था जैसे कोफेपोसा अधि. 1973, मीसा (आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम) आदि। जबकि इन कानूनों द्वारा व्यक्ति के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण के अधिकार (अनु. 22) का उल्लंघन किया गया।

परिणामस्वरूप इसमें शामिल कानूनों की संख्या 238 तक पहुँच गई। इससे ~~संवैधानिक~~ संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी आयी क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर बने कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ ही इसने ~~सैंवधानिक~~ संसदीय सर्वोच्चता को बढ़ावा दिया। क्योंकि संसद द्वारा कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक ~~परीक्षण~~ / समीक्षा से बचा लिया गया। इससे भारत में शक्ति के संतुलन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा व शक्ति का संतुलन संसद की ओर झुक गया।

तथापि सुप्रीम कोर्ट ने आई. आर. कोएल्हो वाद में माना कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन की दशा में 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को रद्द किया जा सकता है।

इस प्रकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9वीं अनुसूची पर कुछ प्रतिबंधों के द्वारा पुनः सैंवधानिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

संघवाद की अवधारणा ~~शक्ति~~ द्वैध राजपद्धति से संबंधित है। इसमें केंद्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है जैसे भारत में 7वीं अनुसूची के माध्यम से।

हालांकि भारत में संघवाद की असममित प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिये गये हैं। साथ ही कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किये गये हैं।

असममित संघवाद
- → राज्यसभा में भिन्न राज्यों को भिन्न सीटों का आवंटन।
- → अनुसूची 6 द्वारा कुछ राज्यों में स्वशासी परिषद।
- → विशेष प्रावधान – नागालैंड (371A), असम (371B) आदि।
- → कुछ राज्यों को विशेष अनुदान

असममित संघवाद नीति

प्रकार से लोकतंत्र में निहित मांगों का समायोजन किया है -

- उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष मांगें :-

(a) इन राज्यों में स्थानीय परंपराओं, रीतियों की रक्षा करने हेतु राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं जैसे नागालैंड से संबंधित 371A, असम से संबंधित 371B आदि।

(b) पूर्वोत्तर राज्यों में ही जनजाति बहुल राज्यों में विधान राज्य विधायिका/संसद के हस्तक्षेप को सीमित करने अनुसूची 6 के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार।

- दक्षिणी राज्यों की मांगे

- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में भाषा के आधार पर चल रहे अलगाव को रोकने विशेष प्रावधान भाग-21 के अंतर्गत।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ जम्मू एवं कश्मीर की माँग - जम्मू एवं कश्मीर में चल रहे पृथकतावादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अनु. 370 व अनु. 35A द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी विशेष प्रबंध किये गये जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार असममित संघवाद ने इन क्षेत्रों में लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विशेष प्रावधान द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित की है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में धन आवंटन हेतु राज्य सरकारों को सुझाव देने हेतु राज्यपाल द्वारा अनु.243 भ के अंतर्गत हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की जाती है।

राज्य वित्त आयोग के कार्य-

↳ स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को धन आवंटन हेतु राज्यों को सुझाव।

↳ स्वशासी संस्थाओं में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु उपायों के सुझाव।

↳ राज्यपाल द्वारा अधिदेशित अन्य विषय।

राज्य वित्त आयोग निम्न प्रकार से राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं-

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ इन्होंने स्वशासी संस्थाओं के धन आवंटन हेतु राज्य स्तरों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु सुझाव देकर राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार की व्यवस्था की है।

↳ स्वशासी संस्थाओं के धन आवंटन में वृद्धि द्वारा इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण व सशक्तीकरण।

↳ राज्य सरकार के मनमानेपन में कमी द्वारा संघवाद के सबसे निचले/तृतीय स्तर की वित्तीय स्थिति में सुधार।

↳ कई राज्यों जैसे केरल में वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू न जमीनी स्तरों को प्रभावी बनाया गया है।

हालांकि अभी भी कई समस्याएं विद्यमान हैं जैसे -

1) कई राज्यों द्वारा समय पर वित्त आयोग का गठन नहीं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं।

↳ राज्य सरकार द्वारा स्वयं के प्रभाव में कमी की आशंका से स्वशासी संस्थाओं का सशक्तीकरण न किया जाना।

↳ राज्यों द्वारा 11वीं व 12वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित विषयों का हस्तांतरण न किये जाने के कारण पंचायतों व नगरपालिकाओं के पास वित्त के स्रोतों की कमी।

↳ आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण स्वशासी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों पर निर्भरता।

इस संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए जैसे- समय पर वित्त आयोगों का गठन, स्वशासी संस्थाओं के ~~वित्त का~~ विषयों के हस्तांतरण द्वारा आत्मनिर्भर बनाना आदि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.

(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

किसी राष्ट्र में नौकरशाही का प्रमुख कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन व कानून को लागू करना होता है। भारत में नौकरशाही के आधुनिक अवधारणा का आधार ब्रिटिश काल में निर्मित सिविल सेवा में देखा जाता है।

आजादी के बाद भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को लागू करने ब्यूरोक्रेसी के आधार बनाया गया। जिस कारण ब्यूरोक्रेसी के आकार में वृद्धि हुई। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी को जागरूक, शिक्षित समूह के रूप में देखा गया, जो नये भारत के निर्माण में सहायक हो सकती है थी। जिस कारण इसके आकार में वृद्धि हुई।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल सेवाओं में सुधार के भाग के रूप में नौकरशाही के समग्र आकार में कमी के पीछे तर्क –

1) कार्यों का अधिव्यापन (ओवरलैपिंग) :- वर्तमान में भारत में कई विभाग एक ही उद्देश्य के संबंध में कार्य करते हैं। इससे जहाँ संसाधनों का अपव्यय होता है, वहीं विभिन्न लोकसेवकों की अलग-अलग राय के कारण आम-सहमति मुश्किल हो जाती है।

2) निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार – नौकरशाही का समग्र आकार कम करके पदसोपानिक व्यवस्था कम की जा सकती है। इससे त्वरित निर्णय लेने में सहायता होगी।

3) भ्रष्टाचार में कमी – वर्तमान में लोगों व लोकसेवकों के मध्य संपर्क को कम करके लोकसेवकों के विवेकाधिकार में कमी जा रही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है। इससे भ्रष्टाचार में कमी की संभावना है।

4) **न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन** - वर्तमान में नव लोक प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत नौकरशाही में डिजिटलीकरण व ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे नौकरशाही में मानव संसाधन की आवश्यकता में कमी हुई है क्योंकि कंप्यूटर एक समय में 10 से अधिक व्यक्तियों का काम एक साथ कर सकता है।

नौकरशाही के आकार में कमी के विपक्ष में तर्क-

↳ वर्तमान में प्रति लाख लोक सेवक की संख्या भारत में अत्यंत कम (117 प्रति 1 लाख) जबकि अमेरिका में यह 600 प्रति 1 लाख व्यक्ति।

↳ नौकरशाही में कमी से योजनाओं की प्रभावोत्पादकता में कमी की संभावना।

सुझाव ↳ औचित्य के आधार पर संख्या में कमी न कि मनमाने तरीके से।

↳ मिशन कर्मयोगी द्वारा लोक सेवकों की क्षमता में सुधार।

वास्तव में नौकरशाही में सुधार देश के प्रशासनिक ढाँचे की कुशलता में सुधार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा।

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस हाशिए में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत में सर्वधर्म-समभाव के आधार पर भारतीय परंपरा के अनुरूप धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत अनु. 26 व अनु. 29 के धार्मिक समूहों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है।

तथापि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसी कारण भारत में कई मंदिरों का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है जैसे केरल में देवस्वम बोर्ड द्वारा मंदिरों का प्रबंधन।

इस संदर्भ में मंदिर प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप के लिए निम्न तर्क दिये जाते हैं:-

1) धर्म की स्वतंत्रता युक्तियुक्त निर्बंधों के अधीन

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है। राज्य मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिरों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।

2) भारत में कई मंदिरों में दान के रूप में अरबों रुपये की संपत्ति का चढ़ावा आता है। ऐसे में इस धन का गबन रोकने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

3) भारत में मंदिर लाखों ~~को~~ लोगों की आस्था का प्रतीक होते हैं। ऐसे में मंदिरों के पूर्णतः निजी हाथों में सौंपने पर वे इसी मनमाना व्यवहार कर सकते हैं।

4) राज्य द्वारा प्रबंधन किये जाने के कारण मंदिर प्रबंधन RTI के दायरे में ~~आ~~ आ जाता है। जिससे मंदिर प्रबंधन की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

तथापि हाल के दिनों में मंदिरों में राज्य द्वारा प्रबंधन का निरंतर विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निम्न तर्क दिये जा रहे हैं-

i) राज्य एक धर्म निरपेक्ष संस्था है। ऐसी स्थिति में धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं।

ii) कुछ विरोधियों के अनुसार राज्य द्वारा प्रबंधन केवल बहुसंख्यक वर्ग के प्रतीकों (मंदिरों) तक सीमित है जबकि अल्पसंख्यक वर्गों के पूजा स्थलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है।

वहीं उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अनु. 29 के अंतर्गत बहुसंख्यक समूह के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

(iii) राज्य के हस्तक्षेप के कारण मंदिरों में नौकरशाही द्वारा भ्रष्टाचार।

वास्तव में इस संबंध में राज्य द्वारा मंदिर प्रबंधन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने के बजाए ऑडिटिंग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय समुदाय के माध्यम से प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. **(250 words) 15**

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्धावस्था के नारीकरण से तात्पर्य है देश की बुजुर्ग जनसंख्या में महिलाओं का भाग बढ़ना। वास्तव में ऐतिहासिक रूप से ही महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होती है, जिस कारण बुजुर्गों की कुल संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक होती है।

वर्तमान में भारत में NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, सकल प्रजनन दर 2017 में 2.2 से घटकर 2.0 हो गयी है। इस कारण भारत में बुजुर्गों की संख्या वर्तमान में 9% से बढ़कर 2050 तक 20% होने की संभावना है। इसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण वृद्धावस्था के नारीकरण में वृद्धि होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वृद्धावस्था के नारीकरण से संबद्ध समस्याएं-

* [गरीबी] → वर्तमान में भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण दक्षिण एशिया में सबसे कम (LPPR ~24%) है। ऐसे में इन बुजुर्ग महिलाओं के पास आर्थिक संसाधनों की कमी की संभावना है।

* [वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याएँ]:
  - रोगों के प्रति सुभेद्यता।
  - शारीरिक अंगों में उम्र के साथ कमजोरी आना जैसे आँखों की रोशनी कम होना।
  - आर्थराइटिस की समस्या।

* [सामाजिक मुद्दे]
  - बढ़ते नगरीकरण व भौतिकतावाद के चलते एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है। जिससे इनके सामाजिक बहिष्कार की संभावना।
  - बच्चों द्वारा मारपीट-अभद्र व्यवहार के केसों में वृद्धि हुई है।

अन्य समस्याएँ → ~~ज्यादा~~ ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलने के कारण ज्यादातर सामाजिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी की जा रही है, जबकि इनमें डिजिटल साक्षरता की कमी।

→ बढ़ती महँगाई के चलते जीवन स्तर में गिरावट की संभावना।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

→ आयुष्मान भारत योजना - प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख का बीमा।

→ प्रधानमंत्री वयोश्री योजना - सहायक उपकरणों का वितरण।

→ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना - 8% की ब्याज दर द्वारा निवेश पर अधिक रिटर्न।

→ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत इंदिरा गाँधी पेंशन योजना।

→ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना।

इस प्रकार बुजुर्ग नागरिकों की सहायता कर हम उन्हें एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध करा सकते हैं।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य ऐसे सरकारी प्रयासों से है जो ~~समाज~~ में नागरिकों को विभिन्न दुर्भेद्य परिस्थितियों से रक्षा करते हैं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा नागरिकों को दुर्घटना बीमा।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी नागरिकों को बिना भेदभाव कुछ सामाजिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में भारत में सामाजिक सुरक्षा विशिष्ट समूहों तक केंद्रित है जैसे आयुष्मान भारत योजना SECC, 2011 पर आधारित 10 करोड़ परिवारों को लक्षित करती है।

तथापि सार्वभौमिक सामाजिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुरक्षा निम्न प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है:-

① व्यक्तिगत लचीलेपन में वृद्धि -

↳ बिना भेदभाव सभी तक उपलब्ध होने के कारण बहिष्करण त्रुटियां ~~कम~~ खत्म हो सकेंगी जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में 40% लोग बहिष्करण त्रुटियां के कारण बाहर।

↳ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के कारण मानव पूंजी विकास में सुधार। वर्तमान में भारत मानव पूंजी विकास में ब्रिक्स देशों में सबसे पीछे।

↳ सामाजिक सुरक्षा से पोषण स्तर व स्वास्थ्य में सुधार → उत्पादकता में वृद्धि → गरीबी में कमी।
↓
जीवन स्तर में सुधार

② अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता:-

↳ नागरिकों में मानव पूंजी विकास से उत्पादकता में वृद्धि होगी जिसका

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सकारात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर।

↳ स्वास्थ्य में सुधार से राज्य द्वारा रोग निदान में होने वाले खर्च में कमी की संभावना।

↳ नागरिकों के उपभोग स्तर में वृद्धि से आर्थिक मंदी से बाहर निकलने में सहायता।

चुनौतियां ↳ वर्तमान में भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 6.3% हो गया है जिसे असंधारणीय माना जाता है।

↳ भारत में सकल कर राजस्व अत्यंत कम (GDP का 11%) होने के कारण सरकार के पास संसाधनों की कमी।

↳ भ्रष्टाचार की संभावना।

इन चुनौतियों के बावजूद DBT के माध्यम से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा लागू की जा सकती है। इसके साथ ही अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों की मदद ली जा सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss. **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था से तात्पर्य वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, WHO जैसी संस्थाओं से है। इनका निर्माण वैश्विक सहयोग द्वारा वैश्विक चुनौतियों जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक, राजनीतिक संकट से निपटने के लिए किया गया था।

इन वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की विफलता :-

- संयुक्त राष्ट्र के ~~अफगानिस्तान~~ अफगानिस्तान, इराक में विफलता।
- कोविड-19 महामारी के दौरान WHO की विफलता।
- विकासशील देशों में अवसंरचना निर्माण व आर्थिक विकास में विश्व बैंक व IMF की विफलता।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता।

↳ दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधि को रोकने में UNCLOS की विफलता।

इस संबंध में विभिन्न देशों द्वारा मुद्दे आधारित गठबंधनों का निर्माण किया जा रहा है जैसे-

① हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व विकास के उद्देश्य से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान द्वारा QUAD का गठन।

② अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यू.के. द्वारा AUKUS का गठन।

③ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान द्वारा सुचारु आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण।

इन मुद्दे आधारित गठबंधनों का महत्व -

1) सदस्यता सीमित होने के कारण सहमति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाने में आसानी।

2) सामान्यतः साझा हितों वाले मुद्दों पर समूह निर्मित होने के कारण सहयोग की संभावना अधिक।

3) देशों को भिन्न मुद्दों पर भिन्न समूहों का सदस्य बनने की स्वायत्ता व स्वतंत्रता।

4) त्वरित निर्णय व कार्यवाही में सरलता।

हालांकि इन सकारात्मक ~~पहलू~~ पहलुओं के बावजूद वैश्विक बहुपक्षीय समूहों का महत्व बना हुआ है -

① कुछ समस्याओं का समाधान छोटे समूहों द्वारा ~~संभव~~ संभव नहीं जैसे जलवायु परिवर्तन।

② इन वैश्विक संस्थाओं के द्वारा निर्मित एक व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ये छोटे समूह कार्य कर पाते हैं। अन्यथा देशों के मध्य टकराव की संभावना अधिक होगी।

इस प्रकार वास्तव में वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को छोड़ कर उनके सहयोग से मुद्दों पर आधारित समूहों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र से तात्पर्य हिंद महासागर व भारतीय प्रायद्वीप के मध्य स्थित देशों से है। इस क्षेत्र में हिमालय जैसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां विद्युत उत्पादन की वृहद संभावना प्रदर्शित करती है।

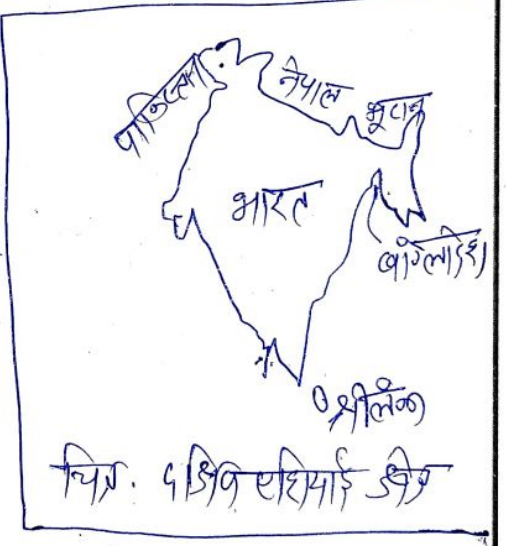

चित्र: दक्षिण एशियाई क्षेत्र

दक्षिण एशिया में ऊर्जा-सहयोग की आवश्यकता:-

1) इस क्षेत्र की लगभग 1.8 अरब जनसंख्या को सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु।

2) नेपाल, भूटान जैसे देशों में जलविद्युत उत्पादन की वृहद क्षमता के बावजूद विद्युत उत्पादन क्षमता की कमी है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत इन देशों के तकनीक उपलब्ध कराकर विद्युत उत्पादन में सहयोग कर सकता है।

3) दक्षिण एशियाई देश ऊर्जा हेतु मुख्यतः पश्चिम एशियाई / खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। ऐसे में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में स्थित पेट्रोलियम संसाधनों के उत्पादन में सहयोग की संभावना है जैसे बंगाल की खाड़ी में भारत व बांग्लादेश के मध्य सहयोग।

4) ऊर्जा संबंधित पार-राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना से देशों के मध्य आयात-निर्यात में सहजता होगी।

5) ऊर्जा की नियमित आपूर्ति दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक संवृद्धि में भी सहायक होगी।

ऊर्जा सहयोग में कमियाँ

- सुदृढ़ विद्युत/ऊर्जा ढाँचे की कमी।
- देशों में आपसी सहयोग के बजाए तीसरे पक्ष की मदद लेना जैसे पाकिस्तान द्वारा चीन की मदद।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ नदियों से संबंधित सीमाओं व जल आपूर्ति पर विवाद जैसे - भारत-नेपाल के मध्य काली नदी पर विवाद, भारत-बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी विवाद।

↳ देशों में आपसी विश्वास की कमी।

↳ जलवायु परिवर्तन के इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन नहीं।

तथापि वर्तमान में कई परियोजनाएं दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग में सहायक -

1) तापी (TAPI) परियोजना।

2) भारत द्वारा बांग्लादेश तक पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण।

3) भारत द्वारा नेपाल व भूटान में जल विद्युत उत्पादन हेतु निवेश।

4) भारत द्वारा नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से जुड़ी ग्रिड का निर्माण।

इस प्रकार ऊर्जा सहयोग द्वारा दक्षिण एशिया को एक विवादित क्षेत्र से समृद्ध क्षेत्र में रूपांतरित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।